



सत्यमेव जयते

397336636
689

रजिस्टर्ड

संख्या / No. पेंशन प्राधिकार आदेश क्र-85/2017-18/6,9

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), RAJASTHAN

दिनांक / Date. 19.05.2017

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.) का कार्यालय
O/o. the Prl. Accountant General (A&E)

INWARD

24 MAY 2017

श्रीमान. प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.),
मान्य उद्योग, शेफाला रोड,
इंदौराबाद
- 500004 -

विषय:- राजस्थान न्यायिक / उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों (सेवानिवृत्त/मृतक) को छठे वेतन आयोग के अन्तर्गत 01.07.2016 एवं उसके पश्चात् बढे हुए मंहगाई राहत का भुगतान बाबत । महोदय,

राजस्थान न्यायिक / उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों (सेवानिवृत्त/मृतक) को छठे वेतन आयोग के अन्तर्गत 01.07.2016 एवं उसके पश्चात् बढे हुए मंहगाई राहत के भुगतान बाबत निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त पत्रांक प.5(247) निपेवि/नियम/2010/पार्ट-I/576-630H दिनांक 21.4.2017 की प्रति आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जा रही है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त पत्र की फोटो प्रति अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत समस्त कोषाधिकारियों/पेंशन भुगतान अधिकारियों/ बैंक शाखाओं को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का श्रम करें तथा प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का श्रम करें ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ①

OGP

भवदीय

me/ymr

वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन प्राधि.

O/o Prl Accountant General (A&E)
AP & Telangana Hyderabad
24-MAY-17



474462

जनपथ, जयपुर-302005, दूरभाष:(0141) 2385431-39, फैक्स:(0141)2385263

Janpath, Jaipur- 302005, Tel.:(0141) 2385431-39, Fax : (0141) 2385263

ई मेल / E-Mail : agaerajasthan@cag.gov.in